[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

सं. 08 /2019-सीमा शुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2019

सा.का.नि........ (अ)-सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 146 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेगुलेशन्स, 2018 में आगे और संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

1. (1) इन विनियमों को कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग (संशोधन)रेग्युलेश्न्स, 2019 कहा जाएगा ।
   (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग (संशोधन) रेग्युलेश्न्स, 2018(एत्श्मिनपश्चात् उक्त विनियमों के रूप में यथा संदर्भित) में, जहां कहीं भी "कार्य प्रबंधन महानिदेशालय (DGPM)" और "कार्य निष्पादन प्रबंधन महानिदेशक" शब्दों और कोष्ठक आते हैं, के लिए, "राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन)" शब्दों और कोष्ठकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

3. उक्त विनियमों में विनियम 4 में,-
   (क) उप-विनियम (1) में, "अप्रैल" शब्द के लिए, "अगस्त" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
   (ख) उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-
   "बशर्ते कि अप्रैल, 2018 में महानिदेशालय कार्य-निष्पादन प्रबंधन (DGPM) द्वारा आमंत्रित किए गए आवेदनों के संबंध में, ऑनलाइन लिखित परीक्षा कैलेंडर वर्ष 2019 की पहली तिमाही में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन) द्वारा आयोजित की जाएगी।"।

4. उक्त विनियमों में, विनियम 6 में,-
   (क) उप-विनियम (1) में, "(विशेष कर ऑनलाइन)" शब्दों और कोष्ठकों को विलोपित किया जाएगा ।
   (ख) उप-विनियमों (2) और (3) हेतु, निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
   "(2) ऑनलाइन लिखित परीक्षा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की पहली तिमाही में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन) द्वारा आयोजित की जाएगी जिसके लिए परीक्षा की तारीख से पहले अग्रिम में आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना भेज दी जाएगी और उक्त परीक्षा का परिणाम परीक्षा की तारीख के एक महीने के भीतर अधिमानतः घोषित किया जाएगा।

(3) लिखित परीक्षा में घोषित होने वाले सफल आवेदक को उसी कैलेंडर वर्ष की दूसरी तिमाही में निर्दिष्ट तिथियों पर मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसका परिणाम उसी कैलेंडर वर्ष के जुलाई माह में घोषित किया जाएगा।" ।

[फा. सं. 502/07/2013-सीमा शुल्क-VI]

(जुबेर रियाज़ कामिली)
निदेशक (सीमाशुल्क)

नोटः- प्रधान विनियम सं0. 41/2018-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 14 मई, 2018 को संख्या सा.का.नि. 451(अ), दिनांक 14 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।